न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 059/2021

1. हेमराज पोदार पुत्र कन्हैयालाल पोदार, जाति महाजन निवासी बिसाऊ तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं हाल निवासी जेएच/3अश्विनी नगर,भगवती, कलकता, वेस्ट बंगाल।
2. श्रीमती शकुन्तला पोदार पत्नी गगन पोदार जाति महाजन निवासी बिसाऊ जिला झुंझुनू हाल–निवासी न्यू सारजी गार्डन, ब्लॉक–ए–2,फ्लेट नंबर 4 बी, 251/1 नगेन्द्र नाथ रोड़, कोलकता पश्चिम बंगाल।
3. सुबोध पोदार पुत्र गगन पोदार जाति महाजन निवासी बिसाऊ जिला झुंझुनू हाल– निवासी न्यू सारजी गार्डन, ब्लॉक–ए–2,फ्लेट नंबर 4 बी, 251/1 नगेन्द्र नाथ रोड़, कोलकता पश्चिम बंगाल।
4. पवन पोदार पुत्र गगन पोदार जाति महाजन निवासी बिसाऊ जिला झुंझुनू हाल– निवासी न्यू सारजी गार्डन, ब्लॉक–ए–2,फ्लेट नंबर 4 बी, 251/1 नगेन्द्र नाथ रोड़, कोलकता पश्चिम बंगाल।
5. आनन्द पोदार पुत्र गगन पोदार जाति महाजन निवासी बिसाऊ जिला झुंझुनू हाल– निवासी न्यू सारजी गार्डन, ब्लॉक–ए–2,फ्लेट नंबर 4 बी, 251/1 नगेन्द्र नाथ रोड़, कोलकता पश्चिम बंगाल।
6. मधु नेवटिया पुत्री गगन पोदार जाति महाजन निवासी बिसाऊ हाल निवासी 8–नयापाट्टी रोड़, कलकता,(पश्चिम बंगाल)।

–अपीलार्थी

–बनाम–

नायब तहसीलदार बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू – रेस्पोडेंट।

अपील बखिलाफ नामांतरकरण संख्या 1510 दिनांक 10.06.2021
न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ।

उपस्थितिः–

1 .श्री राजेश पूनियां, एडवोकेट ––––– –––––––––अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट–––––––––––––––रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 29.10.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.11.01 13:42:56 IST
Reason: SelfAttested

उक्त अपील विरूद्ध नामांतरकरण संख्या 10[illegible] दिनांक 10.06.2021 नायब तहसीलदार बिसाऊ के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि– जमीन हाल

खसरा नंबर 922 रकबा 0.77 हैक्टर सरहद ग्राम बिसाऊ तहसील मलसीसर में स्थित है जिसके पहले खातेदार कन्हैयालाल पुत्र बैजनाथ जाति महाजन निवासी बिसाऊ था। कन्हैयालाल का देहान्त 07.10.1985 को हो चुका है। अपीलांटस स्व कन्हैयालाल के वारिस हैं। इस कारण अपीलांटस ने उत्तराधिकार के आधार पर स्व. कन्हैयालाल की जगह नामांतरकरण दर्ज करने हेतु अदालत मातहत के यहां आवेदन किया तब अदालत मातहत ने अपीलांटस के आवेदन के आधार पर नामांतरकरण संख्या 1510 खोला उक्त नामांतरकरण संख्या 1510 को अदालत मातहत ने दिनांक 10.06.2021 को खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का बिसाऊ ने दिनांक 28.05.2021 को जांच रिपोर्ट में लिखा कि आदेश की पालना में पुनः जांच करने पर, जांच में आया कि नामांतरकरण के साथ संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र में गगन एवं पानादेवी के पिता/पति का नाम अंकित नहीं है। परिवार काफी वर्षों से कोलकता रहना जांच में आया। मृतक के वारिसों का प्रमाण पत्र/वरिसनामा/कुर्सीनाम संबंधित लोकल अथोरिटी से प्रमाणित नहीं है। मृतक के वारिसान की सही जानकारी नहीं हो पाई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही भू. अभि. निरीक्षक ने दिनांक 31.05.2020 को अपनी रिपोर्ट की है जिसके अधार पर अदालत मातहत ने दिनांक 10.06.2021 को नामांतरकरण संख्या 1510 खारीज कर दिया। अदालत मातहत ने नामांतरकरण सिर्फ इस आधार पर खारिज किया कि गगन के पिता का नाम मृत्यु प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं है तथा पानादेवी के पति का नाम मृत्यु प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं है। जबकि अदालत मातहत के समक्ष नबाब अली खान ने जो शपथ पत्र दिया है, उसमें स्व0 कन्हैयालाल की वंशावली दर्शित कर रखी है उसमें गगन के पिता व पाना देवी के पति का नाम दर्शित कर रखा है। इसके अलावा नगरपालिका बिसाऊ के वार्ड नंबर 17 के वार्ड पार्षद ने स्व0 कन्हैयालाल के कुर्सीनामा को तस्दीक किया है। अदालत मातहत ने नवाब अलीके शपथ पत्र व वार्ड पार्षद के कुर्सीनामा को आदेश जैर बहस पारित करने में नजर अंदाज किया है। अदालत मातहत के समक्ष मृतक के सही वारिसान की सही जानकारी एवं सम्पूर्ण दस्तावेज उपलब्ध करवाये है तथा वरिसान की बाबत शपथ-पत्र भी दिया गया है। अदालत मातहत द्वारा नामांतरकरण को खारिज करने का आधार सही नहीं है। अदालत मातहत चाहती तो पुनः को संतोषजनक जांच करवा सकती थी। किसी राष्टीयकृत अखबार में उपरोक्त आशय की सूचना प्रकाशित कर[illegible] थी। अधीनस्थ नयायालय ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये गलत रूप से आलोच्य [illegible] पारित किया है। अतःअपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा नामांतरकरण संख्या 1510 ग्राम बिसाऊ के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.11.01 13:42:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
झुंझुनूं

बाबत पारित आदेश दिनांक 10.06.2021 खारिज किया जाकर जमीन हाल खसरा नंबर 922 रकबा 0.77 हेक्टर ग्राम बिसाऊ का नामांतरकरण मृतक कन्हैयालाल की जगह अपीलांटस नंबर1 के हक में 1/2 हक हिस्से का तथा अपीलांट नंबर 2 से 6 प्रत्येक के हक में 1/10 हक हिस्से का नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का आदेश दिया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया किः– जमीन हाल खसरा नंबर 922 रकबा 0.77 हैक्टर सरहद ग्राम बिसाऊ तहसील मलसीसर में स्थित है जिसके पहले खातेदार कन्हैयालाल पुत्र बैजनाथ जाति महाजन निवासी बिसाऊ था। कन्हैयालाल का देहान्त 07.10.1985 को हो चुका है। अपीलांटस स्व कन्हैयालाल के वारिस हैं। इस कारण अपीलांटस ने उत्तराधिकार के आधार पर स्व. कन्हैयालाल की जगह नामांतरकरण दर्ज करने हेतु अदालत मातहत के यहां आवेदन किया तब अदालत मातहत ने अपीलांटस के आवेदन के आधार पर नामांतरकरण संख्या 1510 खोला उक्त नामांतरकरण संख्या 1510 को अदालत मातहत ने दिनांक 10.06.2021 को खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का बिसाऊ ने दिनांक 28.05.2021 को जांच रिपोर्ट में लिखा कि आदेश की पालना में पुनः जांच करने पर, जांच में आया कि नामांतरकरण के साथ संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र में गगन एवं पानादेवी के पिता/पति का नाम अंकित नहीं है। परिवार काफी वर्षों से कोलकता रहना जांच में आया। मृतक के वारिसों का प्रमाण पत्र/वरिसनामा/कुर्सीनाम संबंधित लोकल अथोरिटी से प्रमाणित नहीं है। मृतक के वारिसान की सही जानकारी नहीं हो पाई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही भू.अभि. निरीक्षक ने दिनांक 31.05.2020 को अपनी रिपोर्ट की है जिसके अधार पर अदालत मातहत ने दिनांक 10.06.2021 को नामांतरकरण संख्या 1510 खारीज कर दिया। अदालत मातहत ने नामांतरकरण सिर्फ इस आधार पर खारिज किया कि गगन के पिता का नाम मृत्यु प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं है तथा पानादेवी के पति का नाम मृत्यु प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं है। जबकि अदालत मातहत के समक्ष नबाब अली खान ने जो शपथ पत्र दिया है, उसमें कन्हैयालाल की वंशावली दर्शित [illegible] उसमें गगन के पिता व पाना देवी के पति का नाम दर्शित कर रखा है। इसके अलावा नगर पालिका बिसाऊ के वार्ड नंबर 17 के वार्ड पार्षद ने स्व. कन्हैयालाल के कुर्सीनामा की तस्दीक किया है। अदालत मातहत ने नवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.11.01 13:42:56 IST
Reason: SelfAttested

अली के शपथ पत्र व वार्ड पार्षद के कुर्सीनामा को आदेश जैर बहस पारित करने में नजर अंदाज किया है। अदालत मातहत के समक्ष मृतक के सही वारिसान की सही जानकारी एवं सम्पूर्ण दस्तावेज उपलब्ध करवाये है तथा वरिसान की बाबत शपथ–पत्र भी दिया गया है। अदालत मातहत द्वारा नामांतरकरण को खारिज करने का आधार सही नहीं है। अदालत मातहत चाहती तो पुनः को संतोषजनक जांच करवा सकती थी। किसी राष्ट्रीयकृत अखबार में उपरोक्त आशय की सूचना प्रकाशित करवा सकती थी। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रकिया अपनाये गलत रूप से आलौच्य निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा नामांतरकरण संख्या 1510 ग्राम बिसाऊ के बाबत पारित आदेश दिनांक 10.06.2021 खारिज किया जाकर जमीन हाल खसरा नंबर 922 रकबा 0.77 हेक्टर ग्राम बिसाऊ का नामांतरकरण मृतक कन्हैयालाल की जगह अपीलांटस नंबर1 के हक में 1/2 हक हिस्से का तथा अपीलांट नंबर 2 से 6 प्रत्येक के हक में 1/10 हक हिस्से का नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का आदेश दिया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा विधिक प्रकिया के तहत नामांतरकरण तस्दीक किया गया है । हल्का पटवारी एवं भू0 अ0 निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर मृतक कन्हैयालाल के वारिसान की सही जानकारी नहीं होने के कारण उक्त नामांतरकरण संख्या 1510 खारिज किया गया है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत नामांतरकरण संख्या 1510 दिनांक 10.06.2021 मृतक कन्हैयालाल के वारिसान की सही जानकारी नहीं होने का नोट लगाकर खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वार्ड पार्षद द्वारा तस्दीक कुर्सीनामा व शपथ–पत्र पर विशवास किया गया है और ना ही स्वयं के स्तर पर विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ का नामांतरकरण संख्या 1510 दिनांक 10.06.2021 के संबंध में पारित आदेश विधिक प्रावधानों के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा अपीलांट के शपथ पत्र व वार्ड पाषर्द की रिपोर्ट को [illegible] का भी कोई आधार दर्ज नहीं किया गया। उक्त नामांतरकरण को खारिज करने का [illegible] आधार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लिया गया है, वह विधिक प्रावधानों के अनुसार सही प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.11.01 13:42:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा नामांतरकरण संख्या 1510 दिनांक 10.06.2021 के संबंध में पारित आदेश निरस्त किया जाता है। पत्रावली नायब तहसीलदार बिसाऊ को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये मृतक कन्हैयालाल के विधिक वारिसान के संबंध में सही जांच करवाकर पुनः नामांतरकरण तस्दीक किया जावे। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

अति. जिला कलक्टर, झुंझुनूं

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर, झुंझुनूं

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.11.01 13:42:56 IST
Reason: SelfAttested